न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं0:– 25/2018

रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैया जाति ब्राह्मण निवासी नगला तरोडा तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

......प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार महोदय, तहसील भरतपुर (राज.)

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133व 136

भू–राजस्व अधिकारी 1956

निर्णय दिनांक : 06.02.2020

प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.08.2018 को यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 133 व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के बाबा रूपी थे। हमारे पिता कन्हैया के हम चार भाई रामगोपाल, फूलसिंह बाबूलाल, मुरारी है। कन्हैया का स्वर्गवास सन् 1978 में होने पर उनके नाम की आराजी की विरासत का दा.खा. बन्दोबस्त विभाग द्वारा दर्ज कर दिया। जिसका

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

नोट खसरा पत्रक ग्राम खैमरा के खसरा नम्बर 1920 में दर्ज है श्री कन्हैया के उक्त चारों पुत्रों के नाम विरासत दर्ज कर दिया था। मगर बन्दोबस्त कर्मचारियों की चूक से ग्राम खैमरा के हाल खसरा नम्बरान 1517, 1524, 1525, 1527 व 1544 किता 5 रकबा 0.95 है. के 1/3 भाग कन्हैया पुत्र रूपी नगला तरोडा के नाम विरासत का दा.खा. दर्ज करने से रह गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को खाता नं. 24 जमाबन्दी हाल सम्वत् 2071 से 2074 की नकल प्राप्त होने पर हुई। अतः प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान पर मृत श्री कन्हैया पुत्र रूपी की विरासत का दा. खा. दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का नाम रामगोपाल है। ग्राम नगला तरोडा की मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम रामगोपाल दर्ज है और रामगोपाल पुत्र कन्हैया ग्राम नगला तरोडा मतदाता पहचान पत्र में अंकित है। मतदाता पहचान पत्र संख्या आर.जे./09/072/46800 है एवं आधार कार्ड नम्बर 9192 3176 9489 है। जिसकी छांयाप्रति पेश है। प्रार्थी ने ग्राम खैमरा में साविक आ.ख.नं. 1901, 1892, 1889, 1893 व [illegible] किता 6 रकबा 7 बीघा 4 विस्वा के निष्फ हिस्सा से 1/4 हिस्सा को तत्कालीन खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। विक्रय पत्र दिनांक 17.04.1988 को पंजीकृत हुआ था। तत्पश्चात बंदोबस्त उक्त खसरा नम्बरान से बने नवीन खसरा नम्बर 1616, [illegible] व 1917 के 1/8 भाग का दा.खा., रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

के आधार पर श्रीमान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर ने आदेश दिनांक 20.09.1988 से प्रार्थी के नाम दर्ज फरमाया था। जिसका अमल दौराने बन्दोबस्त प्रार्थी के नाम से हो चुका है। विक्रय पत्र की छायाप्रति, आदेश दिनांक 20.09.1988 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर प्रमाणित प्रति मय प्रार्थना पत्र तथा नकल जमाबन्दी हाल खाता संख्या 348 ग्राम खैमरा की छांया प्रति पेश है। प्रार्थी का नाम रामगोपाल होते हुये ग्राम नगला तरोडा की आ.ख.नं. 87, 107, 157, 158, 166, 50, 60, पर बन्दोबस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने रामगोपाल दर्ज न कर शार्ट नाम में गोपाल राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया। इसी तरह ग्राम खैमरा की आ.ख.नं. 1920, 1934, 1940, 1942, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1614, 1941 पर भी रामगोपाल दर्ज न करके शार्ट नाम गोपाल दर्ज कर दिया है। जिसमें प्रार्थी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की पत्नी श्रीमति मिश्रदेई के आगे भी पत्नी "गोपाल" दर्ज कर दिया गया है जो कतई गलत है और नाम शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का नाम गोपाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी का अपने तरीके से उपयोग करने से महरूम है और राजकीय लाभ प्राप्त करने से वंचित है। नकल जमाबन्दियां लेने पर गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। प्रार्थी ने राजस्व अभियान में व तहसील में नाम शुद्ध करवाने तथा दा.

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

खा. खुलवाने का प्रयास किया तो तहसीलदार व पटवारी हल्का ने न्यायालय से आदेश लाने को कहा।

अतः प्रार्थना है कि आ.ख.नं. 1517, 1524, 1525 व 1544 किता 5 रकबा 0.95 है. बाके ग्राम खैमरा तहसील भरतपुर में मृत श्री कन्हैया पुत्र रूपी ब्राह्मण नगला तरोडा का दा.खा. विरासत प्रार्थी व उसके छोटे भाई फूलसिंह बाबूलाल व मुरारी जोकि मृत कन्हैया के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं व अन्य कोई वारिस नहीं है, के नाम खोला जाकर प्रार्थी व भाई फूलसिंह, बाबूलाल व मुरारी के नाम खातेदारी दर्ज करवाई जावे व आराजी वर्णित मद नं. 6 पर गोपाल नाम को कलमजन कर रामगोपाल नाम दुरूस्त दर्ज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थी तहसीलदार भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक/आर.ए./2019/40 दिनांक 16.01.2019 को तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर ने पत्रांक/एलआर/4432 दिनांक 29.07.2019 द्वारा तत्थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई मुताबिक रिपोर्ट गोपाल पुत्र कन्हैया एवं रामगोपाल पुत्र कन्हैया एक ही व्यक्ति है। अतः गोपाल के स्थान पर रामगोपाल किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संख्या 2071–74 ग्राम खैमरा एवं नकल जमाबन्दी संख्या 2073–76 ग्राम नगला तरोडा, नकल खसरा पत्रक संख्या 2036, नकल आज्ञा पत्र

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर, फोटो प्रति निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं बयनामा की प्रति पेश की।

प्रार्थी के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संख्या 2071–74 ग्राम खैमरा के अनुसार प्रार्थी का नाम बयनामा के आधार पर आया है। जिसमें सही नाम रामगोपाल दर्ज है। प्रार्थी की अन्य आराजी ग्राम खैमरा एवं ग्राम नगला तरोडा तहसील भरतपुर की किस प्रकार से प्रार्थी के नाम आई है। इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य रिकार्ड बगैरा पेश नहीं किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी संख्या 2073–76 ग्राम नगला तरोडा की आराजी प्रार्थी पत्नि शिवदेई के नाम आई है। जो कि बयनामा से आना संभावित है। इस खाते में भी शिवदेई पत्नि गोपाल दर्ज है। प्रार्थी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह जानकारी हो सके कि आराजी विरासत से आई अथवा बयनामा से। प्रार्थी द्वारा किसी भी आराजी का नकल नामान्तरकरण पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण दर्ज करते समय रामगोपाल के स्थान पर गोपाल दर्ज किया गया है। प्रार्थी को नामान्तरकरण की अपील करनी चाहिये। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 6 फरवरी 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर